

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड. देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:-२२४३/ FP/UK/ROAD/48913/2020 देहादन: दिनांक: २७ फरवरी 2021

सेवा में

प्रभारी सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः— जनपद— चमोली में के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नन्दकेशरी—पूर्णा से धरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.435 हेतु 0.20 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रव्याप्तत्व।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/48913/2020)

महोदय

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोनिंग, थराली, चमोली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.435 हैं। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है। उक्त परियोजना के ऑनलाइन भरे गये पार्ट-II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 109 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग—I से भाग—III एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग—IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्थीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

L_m|||m||

(डॉजोको शमा)

प्रभुख वन सरक्षक
कार्या अमृत पाल बन संस्था द्वारा

पगड़ा—अपर प्रमुख वन सरक्षक
नोडल अधिकारी वन संरक्षण

उत्तराखण्ड देहसादन।

संख्या / FP/UK/BOARD/48913/2020 तदहिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट । से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।
 2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ।
 3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी ।
 4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी ।
 5. जिलाधिकारी, जनपद—चमोली ।
 6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।
 7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, थराली चमोली ।

(डी०जे०के० शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं

नोडल अधिकारी, वन संरक्षण.

उत्तराखण्ड, देहरादन।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद- चमोली में के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नन्दकेशरी-पूर्णा से धरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.435 हेतु 1.435 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/48913/2020)

जनपद- चमोली में के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नन्दकेशरी-पूर्णा से धरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.435 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.433 है। आरक्षित वन भूमि एवं 1.002 है। सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 1.435 है। वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-नैनीताल/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है। उक्त परियोजना के ऑनलाइन भरे गये पार्ट-II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 109 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:

Lm III m II

(डी०ज००क० शमा)

प्रमुख वन संरक्षक

कार्यो-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं

नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

D. J. K. SHARMA

सरकारी मोहर: Principal Chief Conservator
of Forest Uttarakhand

तिथि : २२/०२/२०२१

स्थान : देहरादून